भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक : 1 जनवरी, 2009

सं. 1501/28/2008-टीवी (I)

आदेश

विषय : भारत से अपलिंक करने के दिशानिर्देशों के तहत उपग्रह, चैनल का नाम/लॉगो, चैनल की भाषा, चैनल की श्रेणी, टेलीपोर्ट और टेलीपोर्ट स्थान में परिवर्तन करने के लिए सलाह।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 2.12.2005 को भारत से अपलिंक करने के दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था। इन दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनियों को अन्य बातों के साथ-साथ अपलिंक हब/टेलीपोर्ट को स्थापित करने, भारत से गैर-समाचार और वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनलों को अपलिंक करने, भारत से समाचार तथा वर्तमान घटनाक्रम टीवी चैनलों को अपलिंक करने, भारतीय समाचार अभिकरणों द्वारा अपलिंक करने और एसएनजी/डीएसएनजी वैन/प्रसारण टर्मिनलों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह सूचित किया गया है कि कम्पनियां इस मंत्रालय से बार-बार उपग्रह, चैनल/लॉगो का नाम, चैनल की भाषा, चैनल की श्रेणी, टेलीपोर्ट और टेलीपोर्ट स्थान को परिवर्तित करने की मांग करती हैं और कभी-कभी तो उपर्युक्त उल्लिखित अनुमति प्रदान करने के तत्काल बाद वे ऐसी मांग करती हैं। यह महसूस किया गया है कि कम्पनियों को इस प्रकार के परिवर्तनों की मांग किए जाने की पहले से ही जानकारी थी अथवा

उन्होंने दीर्घ अवधि के आधार पर ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया था। जब कम्पनियाँ इस प्रकार के परिवर्तन के संबंध में मंत्रालय के अनुमोदन की माँग करती हैं, इस प्रकार के प्रस्तावों की इस प्रकार की संशोधित अनुमति प्रदान करने के लिए पुनः समग्र जांच करनी होती है। कार्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए कम्पनियों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे उपग्रह, चैनल के नाम/लॉगो, चैनल की भाषा, चैनल की श्रेणी, टेलीपोर्ट और टेलीपोर्ट स्थान का उपयोग करने के ब्यौरे को दीर्घकालिक आधार पर अंतिम रूप दें और इस प्रकार की आवश्यकता अपरिहार्य होने पर ही इस मंत्रालय से संपर्क करें।

(डी.पी. त्रिपाठी)
उप-निदेशक (इनसेट)
टेलीफोन नं. 23384896

सेवा में,

सभी कम्पनियाँ (मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से)